25/1/24 पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। आदेश सुनाया गया।

नलिनी राठी vs अशोक चौधरी (५)

प्र.स. 44/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 01,02 ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में 15 HMH के खाता स. 54/110 रकबा 4.807 है., खाता स. 8/8 रकबा 6.325 हे०, खाता स० (6.452 हे०) 23/59 में वादीगण ने 1/3 हिस्से की घोषणा चाही है। वाद में अन्तर्वलित भूमि को वादीया ने पैतृक होना व्यक्त करते हुये दबी जुबान में नरेन्द्र कुमार के नाम बेनामी होने के कथन किये है। प्रश्नगत भूमि रजि० बेयनामा द्वारा नरेन्द्र कुमार द्वारा खरीद की गई है तथा कालान्तर में रजि० ~~बेयनामे के~~ बँटवारा द्वारा दिनांक 02.03.1970 के जरिये प.न. 138/266 कि.न. 1 ता 25 प्रति. 01 के नाम दर्ज हुई है तथा प.न. 139/266 के कि.न. 1 ता 25 व प.न. 138/267 के कि.न. 2/1/0.127 हे० भूमि प्रतिवादिया संख्या 02 के नाम जरिये रजि० दानपत्र दिनांक 12.9.18 व दिनांक 25.06.2021 के आधार पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई है। उक्त तीनों दस्तावेज रजि० दस्तावेज है जिसके

तारीख हुक्म

सम्बन्ध में सिविल न्यायालय को स...
श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है, इस...
को नहीं। हस्तगत वादपत्र बेनामी सं...
प्रतिषेध अधिनियम 1988 से भी प्र...
अतः विधित पोषणीय नहीं है। जब...
रजि० बटवारानामा व दानपत्र व ने...
के पक्ष में हुये बैयनामें को सक्षम...
न्यायालय द्वारा अवैध व शून्य घोषित...
कर दिया जाता, राजस्व न्यायालय की...
वर्जित है। वादिया ने वादपत्र के समर्थ...
ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया...
जिसमें दीनगद की 64 बीघा 14 बिस्वा...
स्व० पेमाराम के नाम दर्ज हो व वादि...
दादा श्री रामचंद्र के संयुक्त हिन्दू परिवा...
कोई विवरण अंकित नहीं किया है अतः
वादिया को न तो वादकारण उत्पन्न हु...
व न ही वादिया को कोई हक व हिस्सा
हुये है।

जवाब प्रार्थना-पत्र वादीया के अनु...
वादपत्र में स्पष्ट कथन किये गये है...
प्रति० ने बिना अधिकारिता, गलत तरीके...
15 H.m.n की भूमि अपने नाम व प्रति० 02 के
नाम करवा ली। यह भूमि पैतृक है...
प्रति० 02 के द्वारा अभिकथित दानपत्र बि...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अधिकारिता के है जिसको सिविल न्यायालय में चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। और राजस्व न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है वादीया ने वादपत्र में वादकारण के सम्बंध में स्पष्ट उल्लेख किये है अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे

प्रति03 के जवाब प्रार्थना-पत्र के अनुसार राजस्व न्यायालय में आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रावधान लागू नहीं है एवं इसके निस्तारण हेतु वादपत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही देखा जाता है। भूमि पैतृक है या नहीं विचारण में तय किया जावेगा।

बहस उभय-पक्ष सुनी गई। अधि० वादी ने बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है -

1) DNJ 2025 (1) पेज 28।

2) DNJ 2024 (1) पेज 252

3) DNJ 2024 (2) पेज 909

4) DNJ (2024) (1) पेज 487

5) DNJ 2024 (2) पेज 1186

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

उभय-पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि जरिये रजि० बैयनामा नरेन्द्र कुमार व तत्पश्चात् जरिये पंजीकृत बैयनामा दानपत्र दिनांक 12.09.2018 व दिनांक 25.6.202 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम पर दर्ज हुई है। प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्रों/दानपत्रों को खण्डन भी वादीया ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में नहीं किया है। प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित दानपत्रों, वादीया के अभिकथनों के अनुसार अधिकारिता रहित होने के कथन किये गये है, जबकि दानपत्र पंजीकृत विलेख है जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अभिलिखित काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पक्ष में निष्पादित दानपत्रों जिनको वादीया ने "अधिकारिता रहित" के कथन किये है, को निरस्त करने का अधिकार नहीं है राजस्व न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीया का वादपत्र

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है तथा विधित: वर्जित है। उक्त विवेचन के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तथा हस्तगत वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़